भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
बजट प्रभाग

नई दिल्ली, दिनांक **25 अक्तूबर, 2019**

अधिसूचना

सरकारी स्टॉक (जीएस) की बिक्री (निर्गम/पुनर्निर्गम) के लिए नीलामी

एफ.संख्या4(6)-डब्ल्यूएंडएम/2019:भारत सरकार एतदद्वारा नीचे दिए गए अनुसार सरकारी स्टॉक की बिक्री (निर्गम/पुनर्निर्गम)अधिसूचित करती है:

प्रतिभूति का नाम	मूल निर्गम की तारीख	मूल अवधि (वर्ष-माह-दिन)	परिपक्वता की तारीख	नीलामी का आधार	नीलामी की विधि	अधिसूचित राशि (करोड़ में)
नया सरकारी स्टॉक, 2024	नया स्टॉक	05-00-00	04 नवम्बर, 2024	लाभ	विविध	4,000
भा०स० का अस्थायी दर वाला बांड 2031	07 मई, 2018	13-07-00	07 दिसंबर, 2031	मूल्य	विविध	6,000
7.69% सरकारी प्रतिभूति 2043	30 अप्रैल, 2019	24-01-17	17 जून, 2043	मूल्य	विविध	2,000
7.72% सरकारी प्रतिभूति 2049	15 अप्रैल, 2019	30-02-00	15 जून, 2049	मूल्य	विविध	4,000

कुल अधिसूचित राशि 16,000 करोड़ रुपए की सीमा के अध्यधीन भारत सरकार, उपर्युक्त एक या अधिक प्रतिभूतियों के परिपेक्ष्य में प्रत्येक में 1,000 करोड़ रुपए तक के अतिरिक्त अभिदान का विकल्प बनाए रखेगी। यह बिक्री इस अधिसूचना (जिसे 'विशिष्ट अधिसूचना' कहा गया है) में उल्लिखित शर्तों के अधीन होगी। इस स्टॉक की बिक्री भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई-400001 के माध्यम से भारत सरकार द्वारा जारी सामान्य अधिसूचना एफ.संख्या 4(2)-डब्ल्यू एण्ड एम/2018, तारीख 27 मार्च 2018 में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन की जाएगी।

अप्रतिस्पर्धी बोलीदाताओं को आबंटन

2. सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामियों में अप्रतिस्पर्धी बोली देने की सुविधा की संलग्न स्कीम **(अनुबंध)** के अनुसार, बिक्री की अधिसूचित राशि का 5 प्रतिशत तक सरकारी स्टॉक पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आबंटित किया जाएगा ।

नीलामी का स्थान एवं तारीख

3. यह नीलामी भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई-400001 द्वारा **01 नवम्बर, 2019** को संचालित की जाएगी। नीलामी हेतु बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक कोर बैंकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) प्रणाली संबंधी इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में **01 नवम्बर, 2019** को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां **पूर्वाहन 11.30 बजे से दोपहर 12.00 बजे** के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां **पूर्वाहन 11.30 बजे से मध्याहन 12.30 बजे** के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।

कब निर्गमित कारोबार

4. यह स्टॉक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, 'कब निर्गमित' कारोबार के लिए पात्र होगा।

निर्गम की तारीख और स्टॉक के लिए भुगतान

5. नीलामी का परिणाम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने फोर्ट स्थित मुंबई कार्यालय में **01 नवम्बर, 2019** को प्रदर्शित किया जाएगा। सफल बोलीदाताओं द्वारा भुगतान **04 नवम्बर, 2019** अर्थात् **निर्गम/पुनर्निर्गम** की तारीख को किया जाएगा। स्टॉक के लिए भुगतान में नीलामी में आबंटित स्टॉक के अंकित मूल्य पर, मूलनिर्गम/अंतिम कूपन भुगतान की तारीख से प्रोद्भूत ब्याज देय होने की तारीख तक, प्रोद्भूत ब्याज शामिल होगा। जैसा कि पैरा 6 में तालिका में उल्लिखित है।

ब्याज का भुगतान और स्टॉक का पुनर्भुगतान

6. **मूल निर्गम/अंतिम कूपन भुगतान की तारीख** से स्टॉक के अंकित मूल्य पर ब्याज प्रोद्भूत होगा तथा इसका भुगतान अर्धवार्षिक आधार पर किया जाएगा। स्टॉक का पुनर्भुगतान परिपक्वता की तारीख पर **सममूल्य** पर किया जाएगा।

प्रतिभूति का नाम	कूपन दर (%)	अंतिम कूपन भुगतान की तारीख	किस तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज देय है	कूपन भुगतान की तारीख (तारीख/माह)
नया सरकारी स्टॉक, 2024	लाभ आधारित #	नया स्टॉक	नया स्टॉक	04 मई और 04 नवम्बर
भा०स० का अस्थायी दर वाला बांड 2031	परिवर्तनीय*	07 जून, 2019	03 नवम्बर, 2019	07 दिसंबर और 07 जून
7.69% सरकारी प्रतिभूति 2043	7.69	17 जून, 2019	03 नवम्बर, 2019	17 दिसंबर और 17 जून
7.72% सरकारी प्रतिभूति 2049	7.72	15 जून, 2019	03 नवम्बर, 2019	15 दिसंबर और 15 जून

 # प्रतिभूति के लिए कूपन दर का निर्णय नीलामी में निर्धारित परिपक्वता दर की कटआफ लाभ पर किया जाएगा। ब्याज का भुगतान अर्द्ध-वार्षिक आधार पर किया जाएगा.

** भारत सरकार का अस्थायी दर वाला बांड 2031:*

(i) परिवर्तनीय दर पर ब्याज का भुगतान अर्धवार्षिक आधार पर किया जाएगा।

(ii) अस्थायी दर वाले बांड की कूपन दर होगी जो मूल दर होगी तथा यह 182 दिवसीय राजकोषीय हुंडियों की पिछली 3 नीलामियों (दर निर्धारित करने के दिन से) की भारित औसत आय (डब्ल्यूएवाई) तथा नीलामी तंत्र द्वारा 100 आधार बिन्दु के नियत स्प्रेड के समतुल्य होगी। यह स्प्रेड बांड की अवधि में नियत रहेगा। अंतर्निहित आय की गणना वर्ष में 365 दिन को ध्यान में रखकर की जाएगी।

(iii) बांडों की समयावधि के दौरान भारत सरकार की 182 दिवसीय राजकोषीय हुंडियों की नीलामियों को बंद कर दिए जाने की स्थिति में, कूपन की मूल दर, अर्धवार्षिक कूपन अवधि की शुरुआत से पहले के तीन नॉन-रिपोर्टिंग शुक्रवारों को, छह माह तक भारत सरकार प्रतिभूति(यों) के लिए प्रचलित परिपक्वता दर आय (वाईटीएम) की औसत होगी। यदि किसी शुक्रवार को कोई विशेष छुट्टी/छुट्टियां हैं, तो परिपक्वता पर आय की दरें वही होंगी जो पिछले कार्य दिवस को थी।

(iv) कूपन अवधि 7 जून, 2019 से 6 दिसंबर, 2019 के लिए आधार दर 6.27 प्रतिशत प्रति वर्ष है। तदनुसार, इस अवधि के लिए एफआरबी 2031 पर ब्याज दर 7.27 प्रतिशत प्रति वर्ष होगी। अनुवर्ती वर्षों के दौरान बांडों पर अर्धवार्षिक रूप से देय ब्याज दर, संबंधित अर्धवार्षिक कूपन अवधि की शुरुआत से पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित की जाएगी।

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से

(के. राजारमन)

अपर सचिव, भारत सरकार